**संख्या-3/डी-533/38-2-2014-2(124)/(ए)डी/99**

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत संख्या सहायकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2350/38-1-94-4पी/92 दिनांक 17-03-1994 द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की भर्ती एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के सम्बन्ध में सामान्य मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि समय-समय पर संख्या सहायकों द्वारा पदोन्नति की मांग की जाती रही है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में परियोजना अर्थशास्त्री एवं सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पदों पर उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा संख्या सहायकों को पदोन्नति किये जाने की व्यवस्था नियमों में की गयी है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में परियोजना अर्थशास्त्री एवं सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) श्रेणी-2 का पद उपलब्ध है। अत: शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत संख्या सहायकों को, जो परियोजना अर्थशास्त्री के पद के अनुरूप शैक्षिक योग्यता रखते है, उन्हें परियोजना अर्थशास्त्री के 50 प्रतिशत पदों पर तथा जो संख्या सहायक परियोजना अर्थशास्त्री के पद के अनुरूप शैक्षिक योग्यता नहीं रखते है, उन्हें सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति से भरा जाय, परन्तु शर्त यह है कि उनके द्वारा संख्या सहायक के पद पर कम से कम 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवापूर्ण कर ली गयी हो।

2- अत: राज्यपाल महोदय उपर्युक्तानुसार संख्या सहायकों के पदों से परियोजना अर्थशास्त्री एवं सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण) के पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्तावित संशोधन पर सहमति प्रदान करते हैं।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कोई सीधी भर्ती न की जाय, बल्कि सभी पद संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायें। अत: पदोन्नति की उपरोक्त व्यवस्था केवल वर्तमान में कार्यरत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के संख्या सहायकों के लिये ही प्रस्तावित है।

4- उक्त मार्ग निर्देश संख्या-2350/38-1-94-4पी/92 दिनांक 17-03-1994 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

**<u>संख्या–डी-533(1)/38-2-2014 तददिनांक</u>**।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे शासी निकाय की बैठक में अंगीकृत कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
7- ग्राम्य विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in